न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला चितौडगढ़

पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या अपील –01/2021

अनवान

1. शान्ती बाई पुत्री मांगीलाल जाति सुथार निवासी गोपालपुरा तहसील रावतभाटा हालमुकाम मण्डपिया गंगरार जिला चित्तौड़गढ
2. सुरेश सुथार पिता श्री मांगीलाल जाति सुथार आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील रावतभाटा हाल मुकाम आजाद नगर भीलवाडा जिला भीलवाडा।

अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत गोपालपुरा पं.सं. भैंसरोडगढ तहसील रावतभाटा।
2. श्रीमान भूनिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चितौडगढ।
3. शम्भुलाल पिता नारायण सुथार जाति सुथार आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ।
4. रिंकू कुमारी पुत्री शम्भुलाल सुथार जाति सुथार आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील रावतभाटा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

(विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत गोपालपुरा(बोराव) बमामले नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 18.01.2011 व इन्तकाल संख्या 134 दिनांक 19.05.2014)

उपस्थित – श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री भूपेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

निर्णय दिनांक 19.04.2022

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने ग्राम पंचायत गोपालपुरा प.ह. गोपालपुरा तहसील रावतभाटा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 64 के संबंध में निर्णय दिनांक 18.01.2011 व इन्तकाल संख्या 134 निर्णय दिनांक 19.05.2014 से असन्तुष्ट होकर यह अपील रेस्पोडेंटस के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम मौजा गोपालपुरा प0ह0 गोपालपुरा की जमाबंदी सम्वत 2064–67 खाता संख्या 60 खसरा संख्या 283, 284, 285 कितस 03 रकबा 2.81 है0 कृषि भूमि खाते में नाराण, मांगीलाल पिता श्री लादू सुथार सा. गोपालपुरा खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा वर्तमान जमांबदी में खाता संख्या 109 खसरा संख्या 283, 284, 285 किता 03, रकबा 2.81 है0 कृषि भूमि खाते में मथरालाल पिता नाराण 1/2, शंभुलाल पिता नाराण 1/2 दर्ज रिकार्ड है, तथा मांगीलाल जी का स्वर्गवास

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

दिनांक 06.12.2010 को हो चुका है तथा स्व. मांगीलाल जी का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है:-

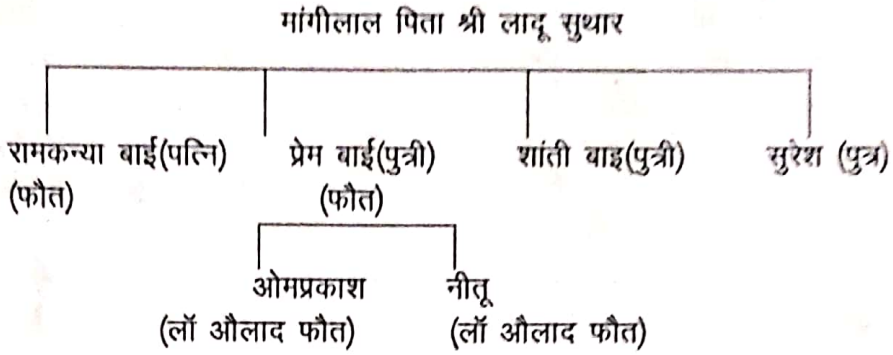

इस प्रकार स्व. मांगीलाल के स्वर्गवास के बाद उक्त नामान्तरण खुलने से पहले मांगीलाल के जाईन्दा वारिसान रामकन्या बाई, शांति बाई व सुरेश मौजूद थे, लेकिन श्रीमति रामकन्या बाई का स्वर्गवास दिनांक 13.12.2015 को हो चूका है। रेस्पोडेण्टस संख्या 3 व 4 द्वारा एक गौदनामा दिनांक 22.12.2009 को तस्दीक करवाया था, जिसमें मांगीलाल जी के लॉ औलाद व कोई जाईन्दा संतान होना नही बताया है, जबकि मांगीलाल जी के जाईन्दा वारिसान मौजूद थे, तथा मांगीलाल के जाईन्दा वारिसान उनके चल अचल सम्पति में बराबर के हिस्सेदार थे। रेस्पोडेण्टस संख्या 02 व 03 द्वारा ग्राम पंचायत गोपालपुरा को अंधेरे में रखते हुए स्व. मांगीलाल के वारिसान की जानकारी नहीं देकर उक्त गोदनामें के आधार पर रेस्पोडेण्टस संख्या 04 के नाम नामान्तरण संख्या 64 दिनांक 18.01.2011 तस्दीक करवा लिया, तथा उसके बाद रेस्पोडेण्टस 03 व 04 द्वारा मिलीभगत कर गलत व फर्जी तरीके से एक बख्शीस कर नामान्तरण संख्या 134 दिनांक 19.05.2014 रेस्पोडेण्टस संख्या 03 के नाम गलत तरीके से फैसल करवा लिया जबकि नामान्तरण संख्या 64 खोलते समय स्व0 मांगीलाल के वारिसान रामकन्या बाई, शान्ति बाई, सुरेश मौजूद थे। उक्त नामान्तरण इन तीन नाम से भी फैसल होना चाहिए था। लेकिन ग्रा0पं0 गोपानपुरा द्वारा भूल व त्रुटिवश मांगीलाल जी के सही वारिसान की जानकारी नही कर रेस्पोडेण्टस संख्या 03 व 04 से मिलीभगत कर नामान्तरण रेस्पोडेण्टस संख्या 04 रिंकू कुमारी के नाम से स्वीकृत कर दिया है। जो निरस्त होने योग्य है तथा उक्त नामान्तरण को निरस्त कर पुनः स्व0 मांगीलाल जी के वारिसान की सही जानकारी कर नामान्तरण मांगीलाल के जाईन्दा वारिसान के नाम आदेश प्रदान किया जावें। अपीलार्थीगण रोजी रोटी व गुजर बसर करने के लिए ग्राम गोपालपुरा से जाकर अन्यत्र बस गये थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रेस्पोडेण्टगण द्वारा अपाराधिक सडयंत्र रचकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 64 व 134 को तस्दीक करवा लिया है जिसकी जानकारी अभी हाल ही में राजस्व रिकार्ड की जानकारी की तो पता चला तथा दिनांक 04.01.2021 व उसके बाद राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तो जानकारी हुई की स्व0 मांगीलाल की उक्त वर्णित आराजीयात को गलत तरीके से फैसल नामान्तरकरण कर अपने नाम करवा ली है इसलिए इन्तकाल अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अन्त में रेस्पोडेण्टस संख्या 01 ग्रा0पं0 गोपालपुरा द्वारा जो नामान्तकरण संख्या 64 व 134 को निरस्त कर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर पुनः स्व0 मांगीलाल जी सुथार वारिसान की जांच कर नये सिरे से सही नामान्तकरण खोले जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स की ओर से अभिभाषक भूपेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोडेण्टस संख्या 01 ग्राम पंचायत गोपालपुरा द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील की कॉलम संख्या 01 खातेदारी रिकार्ड में होना स्वीकार है, अपील संख्या 02 गोदनामा रजिस्टर्ड दस्तावेजी होने से स्वीकार है, मृतक मांगीलाल सुथार द्वारा रेस्पोडेण्टस संख्या 04 रिंकू के पक्ष मे गोद नामा रजिस्टर्ड किया जो नामांतरण के समय पेश हुआ था तथा खातेदार रिंकू द्वारा रेस्पोडेण्टस संख्या 03 शंभूलाल पिता नारायण लाल सुथार के पक्ष में भी रजिस्टर्ड बख्शीश की गई थी वह भी नामांतरण के समय पेश हुआ था ग्राम पंचायत गोपालपुरा द्वारा कोई भूल व त्रुटिवश नामान्तरण फैसल नही किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजो व जानकारी के आधार पर ही नामांतरण फैसल किये गये है। रेस्पोडेण्टस संख्या 03 व 04 द्वारा मिली भगत कर व फर्जी तरीके से पंजीयन दस्तावेज तैयार किये गये हो तो इसकी जानकारी हमें नही है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार नामांतरण तस्दीक किया गया है व रेस्पोडेण्टस संख्या 03 व 04 के द्वारा अपील का लिखित में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील की कॉलम संख्या 01 खातेदारी रिकार्ड में होना स्वीकार है। मांगीलाल जी का प्रस्तुत सजरा अस्वीकार है। मांगीलाल जी लाओलाद फोत हुए थे उनके कोई जाईन्दा वारिस नही थे। अपील की कॉलम संख्या 02 मांगीलाल जी से रेस्पोडेण्टस संख्या 04 रिंकू के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड गोदनामा स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार किया है। विधिवत व कानूनी प्रक्रिया के तहत ही मांगीलाल जी से रिंकू कुमारी के नाम नामांतरण तस्दीक किया गया है एंव नियमागत ही रिंकू कुमारी द्वारा रेस्पोडेण्टस संख्या 03 शम्भूलाल के पक्ष में रजिस्टर्ड बख्शीश की गई। रेस्पोडेण्टस संख्या 04 रिंकू कुमारी पुत्री शम्भूलाल सुथार के पक्ष में मांगीलाल पिता लादू जी सुथार ने दिनांक 24.12.2009 को उप पंजीयक कार्यालय भैंसरोडगढ हाल मुकाम रावतभाटा में उपस्थित होकर रजिस्टर्ड गोदनामा तैयार करवाया था। कोई कूट रचित दस्तावेज तैयार नही किये गये। अपीलांट के मन में आराजी हडपने की नियत होने से स्वयं को मांगीलाल की पुत्री बता कर गलत अपील प्रस्तुत की है। मांगीलाल द्वारा स्वयं गोदनामें में कथन किये गये है कि उनकी कोई जाईन्दा पुत्र/पुत्री संतान नही है। रेस्पोडेण्टस संख्या 04 रिंकू कुमारी पुत्री शम्भूलाल निवासी गोपालपुरा द्वारा दिनांक 06.05.2014 को शम्भूलाल पिता नारायण सुथार के पक्ष में रजिस्टर्ड कृषि आराजीयात ग्राम गोपालपुरा की आराजी संख्या 283, 284 व 285 रकबा 2.81 है0 हिस्सा 1/2 प0ह0 गोपालपुरा की रजिस्टर्ड बख्शीश की गई है जो विधिवत एवं कानूनी अधिकार है। स्व0 मांगीलाल जी की पुत्री रिंकू कुमारी एक मात्र गोद पुत्री है। उनके जीवन काल में उनकी सेवा रेस्पोडेण्टस संख्या 04 द्वारा की गई है व उनकी मृत्यु के पश्चात भी सभी रस्में मेरे द्वारा ही सम्पन्न कराई गई है। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त योग्य होने से खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि का संबंधित ग्राम पंचायत ने जो नामान्तकरण आदेश पारित किया है वह भूल व त्रुटिवश मांगीलाल के वारिसान की सही जांच किए बिना ही किया है। मृतक मांगीलाल के जाईन्दा वारिसान मौजूद थे उक्त नामान्तरण स्व0 मांगीलाल के वारिसान रामकन्या बाई, शांति बाई, सुरेश के नाम से भी फैसल होना चाहिए था। उक्त नामान्तकरण गलत होने से खारिज करने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील रेस्पोडेंटस ने बहस में विवादित आराजीयात से संबंधित रेस्पोडेण्टस संख्या 03 व 04 के जवाब के तथ्यों को दोहरातें हुए रेस्पोडेण्टस 04 रिंकू कुमारी मृतक स्व0

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

मांगीलाल की रजिस्टर्ड गोद पुत्री है। उसके हक में मृतक मांगीलाल ने रजिस्टर्ड गोद नामा उप पंजीयक कार्यालय भैंसरोडगढ हाल मुकाम रावतभाटा में लिखा गया था तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 03 शम्भूलाल पिता नारायण सुथार के पक्ष में रजिस्टर्ड बख्शीश की गई है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत गोपालपुरा द्वारा विरासत का नामान्तरकरण आदेश सही पारित किया गया है, अपीलाण्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि स्व0 मांगीलाल की स्वर्गवास के बाद उक्त नामान्तरण खुलने से पहले मांगीलाल जी के जाईन्दा वारिसान रामकन्या बाई, शान्ति बाई, सुरेश मौजूद थे, श्रीमती रामकन्या बाई का स्वर्गवास दिनांक 13.12.2015 को हो चुका है। रेस्पोडेण्टस संख्या 03 व 04 द्वारा एक गौदनामा दिनांक 22.12.2009 को तस्दीक करवाया था जिसमें मांगीलाल के लॉ औलाद व कोई जाईन्दा संतान होना नही बताया है,जबकि मांगीलाल के जाईन्दा वारिसान मौजूद थे तथा मांगीलाल के जाईन्दा वारिसान उनके चल अचल सम्पति में बराबर हिस्सेदार थे। रेस्पोडेण्टस 03 व 04 ने ग्राम पंचायत गोपालपुरा को अंधेरे में रखते हुए स्व0 मांगीलाल के वारिसान की जानकारी नहीं देकर उक्त गोदनामें के आधार पर रेस्पोडेण्टस सं. 04 के नाम नामान्तरण संख्या 64 दिनांक 18.01.2011 तस्दीक करवा लिया तथा उसके बाद रेस्पोडेण्टस संख्या 03 के नाम फर्जी तरीके व मिलीभगत करके एक बख्शीश कर नामान्तरण संख्या 134 दिनांक 19.05.2014 फैसल करवा लिया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का व अपील इन्तकाल में वर्णित तथ्यों का गहनता से अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र शामिल नहीं है एवं प्रस्तुत अपील इन्तकाल मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। अपीलाण्टगण यह साबित नही कर पाये है कि वह मृतक मांगीलाल के जाईन्दा वारिसान है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से रामकन्या बाई, शान्ति बाई, सुरेश तीनों स्वर्गीय मांगीलाल के वारिसान होना नहीं पाये जाते है व वकील रेस्पोडेण्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से भी यह साबित होना पाया गया है कि रामकन्या बाई, शान्ति बाई, सुरेश तीनों स्व0 मांगीलाल के जाईन्दा वारिसान नहीं है। ग्राम पंचायत गोपालपुरा के द्वारा नामान्तकरण रजिस्टर्ड गोदनामें व रजिस्टर्ड बख्शीशनामें के आधार पर खोले गये है जो कि विधीवत व नियमानुसार सही है। ग्राम पंचायत गोपालपुरा द्वारा खोले गये इन्तकाल को पुनः विरासत की जांच कर नामान्तकरण खोला जाना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(कैलाश ... गुर्जर)
रावतभाटा (चित्तौडगढ)
उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

Scanned with CamScanner